सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग(राज0)

प्र0 सं0 04/2025(जी.सी.एम.एस.न. 2025/172)

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

धर्मपाल पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बहज तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-अप्रार्थी

प्रार्थना अन्तर्गत प्रा0पत्र 128,एल.आर.एक्ट बावत बावत,

निर्णय

दिनांक: 22.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **प्रार्थना पत्र बावत कराये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128, एल.आर.एक्ट बावत बावत** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2947/0.04,वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित है। जिस पर प्रार्थी वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी की चारों तरफ से डॉल-मेंड पूर्व से ही कायम है,लेकिन प्रार्थी की उक्त आराजी के अडोस पडोस में स्थित खेतों के खातेदार आये दिन प्रार्थी की उक्त खेतों की डॉल-मेंड को तोड देते है और नुकसान पहुंचाते है तथा डॉल-मेंड तोडकर फसलों को क्षति पहुंचाते है। जिससे कई वार विवाद की स्थित पैदा हो जाती है। प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त आराजी की दिनांक 09.06.2025 को तहसीलदार डीग के आदेश से पैमाईश व सीमाज्ञान जरिये पटवारी हल्का कराई गई तथा निशानात लगाये गये लेकिन पडोस के खातेदारान द्वारा उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया और विवाद पैदा किया तथा निशानात हटा दिये। इसलिए प्रार्थी अपने उक्त खेतों की पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात सीमा चिन्ह(पत्थरगढी) कायम कराना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2947/0.04 स्थित ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग की पैमाईश कराकर जरिये पुलिस सहायत पुख्ता निशानात(पत्थरगढी)कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.07.2025 में अंकित है कि आराजी खसरा नम्बर 2947/0.04, वाके ग्राम बहज तहसील डीग धर्मपाल पुत्र देवकीनन्दन हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 बहज खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा किया गया। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर में घास खडी है एवं आस पास के खसरा नम्बरों में ज्वार,बाजरा एवं धान(खरीफ की फसल बोई गई है एवं

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 2947 बहज गोबर्धन सडक मार्ग से लिंक रास्ते पर नहर के किनारे लगभग 400 मीटर दूर है। जोकि हाल ही में नहर के पक्का निर्माण करने से रास्ता पर मिट्टी डाली गई है। बरसात के मौसम में पानी भर जाता है एवं कीचड हो जाती है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बर 2947/0.04 स्थित ग्राम बहज प्रथम तहसील डीग का सीमाज्ञान कराया जा चुका है तथा पत्थरगढी कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, एल.आर.एक्ट, पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बरान 2947/0.04, स्थित बहज प्रथम तहसील डीग में स्थित आराजी बावत आराजी का खेत व आस-पडोस के खेत में फसल खडी हुई न होने की स्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128,एल.आर.एक्ट(पत्थरगढी) स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 2947/0.04, स्थित बहज प्रथम तहसील डीग की पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णयानुसार तहसीलदार डीग नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी * जिला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner